उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-1041/78-1-2020-25/2012
लखनऊः दिनांकः 13 अगस्त 2020

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012 दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 अधिसूचित की गई है।

2- उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 6.2 में व्यवस्था है कि इन्क्यूबेर्स को मान्यता, स्टार्ट-अप फण्ड्स की शुरुआत, स्टार्ट-अप आयोजनों के अनुमोदन इत्यादि मामलों में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने सहित नोडल एजेन्सी द्वारा स्टार्ट-अप नीति के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कार्यों की देखरेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) स्थापित की जाएगी।

3- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के स्टार्ट-अप नीति के प्रभावी एवं सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों जैसेकि स्टार्टअप्स, इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहन, स्टार्टअप फण्ड्स इत्यादि से सम्बन्धित मामलों में निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
6	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

Scanned with CamScanner

7	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8	अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
9	विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
10	प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
11	कुलपति, अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
12	प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी।	सदस्य सचिव

6- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-1041(1)78-1-2020 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1 समिति के समस्त माननीय सदस्यगण।
2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
4 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
5 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वह प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6 प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
7 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयक्त सचिव।

Scanned with CamScanner